...ालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या : 10/2017

चुन्नीलाल पिता खुमाण जी खटीक निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. रतनलाल पिता खुमाण जी जाति खटीक निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. जगन्नाथ पिता लादूलाल जी जाति खटीक निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. गुडडीबाई पिता लादूलाल जी जाति खटीक निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ हाल पत्नी राजकुमार खटीक निवासी विजयपुर जिला चितौडगढ़
4. कंकुबाई पत्नी लादुलाल जी जाति खटीक निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
5. नंदकिशोर पिता नानुराम जाति खटीक निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
6. माधुलाल पिता नानुराम जाति खटीक निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
7. सुरेशकुमार पिता नानुराम जाति खटीक निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
8. कमलादेवी पुत्री नानुराम जाति खटीक निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ हाल पत्नी कंवरलाल जी खटीक निवासी सिंगोली जिला नीमच(मु.प्र.)
9. भूधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ तहसील बेगूँ
10. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़ प्रतिनिधि राज0 सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री अनिल शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री शिवप्रकाश सोनी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 17.06.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—53 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वादपत्र अधिवक्ता श्री अनिलशर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा बेगूँ प0ह0 बेगूँ में वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 9 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार से है :—

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
397	1167	0.3560
	1168	0.3640
	1169	0.3240
	1170	0.0400
	1171	0.2750
	1172	0.2350
	1173	0.4210
	1174	0.1380
	1176	0.2270
	1177	0.1780
	1178	0.1860
	1179	0.1940
	1180	0.1620
	1181	0.4450
	1182	0.1620
	किता—15	3.7070 हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ़)

...एवं प्रतिवादी सं० 1 से 9 तक का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:—

खुमाण जी खटीक
|

नानुराम फौत पुत्र — चुन्नीलाल पुत्र वादी — रतनलाल पुत्र प्र.सं.1
|

लादूलाल पुत्र फौत — नंदकिशोर पुत्र — मालु पुत्र — सुरेशकुमार पुत्र — कमलाबाई पुत्री — नंदूबाई बेवा पत्नी
|

जगन्नाथ — गुड्डीबाई — कंकुबाई

यह कि वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित व वर्णितानुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात पैत्रिक संपति होकर वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 से 4 तक का 1/18 हिस्सा प्रतिवादी सं० 5 से 9 तक का 5/18 हिस्सा निहित होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 तक आपसी सहमति से मौके पर हिस्सा व कब्जानुसार काबिज होकर निरंतर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। कृषि आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सीमाओं को लेकर एवं फसल घास आदि काटते समय व लगान जमा कराते समय मनमुटाव होकर विवाद होता रहता है जिसका अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्रस के आधार पर विभाजन किये जाने बाबत यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि आराजीयात का मौके व रेकार्ड में स्थाई विभाजन नहीं होने के कारण वादी ने आपसी सहमति से तहसील में चल कर खाता विभाजन कराये जाने के लिए कई मर्तबा कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा हर बार इन्कार कर दिया इसलिए वादी व प्रतिवादीगण ने निहित हिस्सा आराजी का विभाजन कर खाता पृथक पृथक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक आप्ति प्रदान किये जाने के लिये यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। वाद कारण दिनांक 20.12.2016 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण आपसी सहमति से खाता विभाजन कराने के लिये कहा किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिये जाने उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र श्रवण योग्य न्यायालय आप है। वादपत्र विभाजन घोषणा में भूमिधारी जी आवश्यक पक्षकार होने व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय राज्य सरकार के प्रतिनिधी होने से उन्हें प्रतिवादी सं० 10, 11 के रूप में पक्षकार बनाये गये हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है किवादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न अनुतोष की डिकी वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें :—

क— यह कि वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित खाता संख्या 397 में अंकित आराजी संख्या 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182 किता— 15 में वादी का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 तक का 1/18 एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 तक का 5/18 हिस्सा निहित का अच्छी से अच्छी एव बुरी से बुरी भूमि मिट्स एण्ड बाउण्ड्रस के आधार पर विभाजन किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

ख— कि बाद विभाजन वादी व प्रतिवादीगण का खाता पृथक पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की वादी के पक्ष में आज्ञप्ति प्रदान करायी जावें।

ग— कि अन्य कोई अनुतोष जो मुनासिब वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

घ— कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 6 व 8

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

र से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री शिव प्रकाश सोनी द्वारा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र का लिया जवाबदावा प्रस्तुत किया। पत्रावली में वादपत्र का ईकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत होने व ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तनकी पत्र तैयार नहीं कर साक्ष्य वादी की ली गई जिसमें वादी चुन्नीलाल पिता खुमाण जी खटीक का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वादी द्वारा दिनांक 10.10.2019 को अपने बयान कलमबद्ध कराते हुए पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया , वादी से अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नहीं की गई।

पत्रावली में साक्ष्य वादी की पूर्ण होने व प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादपत्र पर अधिवक्ता वादी की बहस को सुना गया जिन्होने वादपत्र के अनुसार अपनी बहस निवेदन करते हुए आराजी का हिस्सानुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

बहस अधिवक्ता वादी की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ सं0 2071 से 74 प्रदर्श– 1 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें वर्णित आराजी संख्या 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182 किता– 15 कुल रकबा 3.7070 हैक्टर भूमि श्री नानुराम चुन्नीलाल रतनलाल पिता खुमाण खटीक सा0 देह खातेदार के नाम पर दर्ज है, जमाबंदी में नोट अंकित है कि नामा. सं. 3036 निर्णय दिनांक 07.10.2015 विरासत से नानुराम के बजाय जगन्नाथ गुड्डीबाई पिता लादू, मु.कंकूबाई पत्नि स्व. लादू 1/18 नन्दकिशोर माधू सुरेश कमला पिता नानुराम नन्दूबाई पत्नि स्व. नानुराम 5/18 का नाम दर्ज हुआ का नोट अंकित है। पत्रावली में वर्णित सजरा के अवलोकन से वर्णित आराजी में वादी चुन्नीलाल का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं0 2 से 4 तक का हिस्सा 1/18 प्रतिवादी सं0 5 से 9 तक का हिस्सा 5/18 व प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा बनता है। वादी अपने हिस्से के अनुसार वादपत्र वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है मौजा बेगूँ की आराजी संख्या 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182 किता– 15 रकबा 3.7070 हैक्टर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 से 4 तक का 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 से 9 तक का 5/18 हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। निर्णय की प्राथमिक डिक्री तैयार की जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को वर्णित आराजीयात के विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ मंगवाये जाने हेतु भिजवाई जाती है।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र क्रमांक/राजस्व(कोर्ट)/2025/444 दिनांक 04.06.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बेगूँ पटवार हल्का बेगूँ की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्री चुन्नीलाल पिता खुमाण खटीक सा. बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1167	0.3560		
1168	0.3640		
1169	0.3240		
1170	0.0400		
1173 मेसे	0.0280		
1171 मेसे	0.1236		

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

कीता– 06 1.2356 हैक्टर 11.34

श्री रतनलाल पिता खुमाण खटीक सा. बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1172	0.2350		
1182	0.1620		
1180	0.1620		
1179	0.1940		
1177 मेसे	0.0670		
1176 मेसे	0.1324		
1174 मेसे	0.0458		
1173 मेसे	0.0360		
1171 मेसे	0.1516		
कीता– 09	0.2356 हैक्टर		

1– (मृतक जगन्नथ के बजाय) श्रीकार्तिक ना.बा.स.प. माता कमलेशबाई पिता जगन्नाथ, कमलेशबाई पति जगन्नाथ हिस्सा 1/3 गुडडीबाई पिता लादूलाल कंकूबाई पति लादूलाल खटीक हिस्सा 2/3 सा. बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1181 मेसे	0.1000		
1177 मेसे	0.0288		
1178 मेसे	0.1183		
कीता– 03	0.2471 हैक्टर		

श्री नंदकिशोर,माधुलाल,कमलादेवी पिता नानुराम हिस्सा 3/4 (मृतक सुरेश के बजाय) तनिष पिता सुरेश खटीक हिस्सा 1/4 ना.बा.स.प. नाना नारायणलाल सा. बेगू

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1178 मेसे	0.0677		
1181 मेसे	0.3450		
1173 मेसे	0.3070		
1174 मेसे	0.0922		
1176 मेसे	0.0946		
1177 मेसे	0.0822		
कीता– 06	0.3887 हैक्टर		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

([illegible])
([illegible] कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या : 10 / 2017

चुन्नीलाल पिता खुमाण जी खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं

वादी

बनाम

1. रतनलाल पिता खुमाण जी जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं
2. जगन्नाथ पिता लादूलाल जी जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं
3. गुड्डीबाई पिता लादूलाल जी जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं हाल पत्नी राजकुमार खटीक निवासी विजयपुर जिला चितौडगढ
4. कंकुबाई पत्नी लादुलाल जी जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं
5. नंदकिशोर पिता नानुराम जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं
6. माधुलाल पिता नानुराम जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं
7. सुरेशकुमार पिता नानुराम जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं
8. कमलादेवी पुत्री नानुराम जाति खटीक निवासी बेगूं तह0 बेगूं हाल पत्नी कंवरलाल जी खटीक निवासी सिंगोली जिला नीमच(मु.प्र.)
9. भूधारी जी तहसीलदार साहब बेगूं तहसील बेगूं
10. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़ प्रतिनिधि राज0 सरकार

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शिव प्रकाश सोनी की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 17.06.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अतिम डिकी किया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा बेगूं, पटवार हल्का बेगूं की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्री चुन्नीलाल पिता खुमाण खटीक सा. बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1167	0.3560		
1168	0.3640		
1169	0.3240		
1170	0.0400		
1173 मेरी	0.0280		
1171 मेरी	0.1236		
	1.2356 हैक्टर		11.34

कीता– 06

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

श्री रतनलाल पिता खुमाण खटीक सा. बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1172	0.2350		
1182	0.1620		
1180	0.1620		
1179	0.1940		
1177 मेसे	0.0670		
1176 मेसे	0.1324		
1174 मेसे	0.0458		
1173 मेसे	0.0860		
1171 मेसे	0.1516		
कीता– 09	0.2356 हैक्टर		

3– (मृतक जगन्नथ के बजाय) श्रीकार्तिक ना.बा.स.प. माता कमलेशबाई पिता जगन्नाथ, कमलेशबाई पति जगन्नाथ हिस्सा 1/3 गुड्डीबाई पिता लादूलाल कंकूबाई पति लादूलाल खटीक हिस्सा 2/3 सा. बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1181 मेसे	0.1000		
1177 मेसे	0.0288		
1178 मेसे	0.1183		
कीता– 03	0.2471 हैक्टर		

4–श्री नंदकिशोर,माधुलाल,कमलादेवी पिता नानुराम हिस्सा 3/4 (मृतक सुरेश के बजाय) तनिष पिता सुरेश खटीक हिस्सा 1/4 ना.बा.स.प. नाना नारायणलाल सा. बेगू

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1178 मेसे	0.0677		
1181 मेसे	0.3450		
1173 मेसे	0.3070		
1174 मेसे	0.0922		
1176 मेसे	0.0946		
1177 मेसे	0.0822		
कीता– 06	0.3887 हैक्टर		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी सुरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक/सारिश्ता/2025/458 दिनांक :–17.6.25

दावा संख्या 10/2017 व अनवान चुन्नीलाल बनाम रतनलाल वगै. वाद अ.धा. 53–88 आर.टी. एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)